

कार्यालय नगर पंचायत सुगौली, पूर्वी चम्पारण

स्वच्छता साथी के चयन हेतु विज्ञापन

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि नगर पंचायत सुगौली अन्तर्गत स्वच्छता साथी के चयन हेतु पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन जिसका PR. No. 20193 (B&C) 2024-25 को रद्द करते हुये पुनः स्वच्छता साथी के चयन हेतु विज्ञापन आमंत्रित किया जाता है।

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 4081 दिनांक 26.12.2024 द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 अन्तर्गत टोस अपशिष्ट प्रबंधन के कार्यान्वयन हेतु दिशा-निर्देश के आलोक में स्वच्छता साथी का चयन किया जाना है जिसकी विवरणी निम्नवत है :-

स्वच्छता साथी कौन होंगे :-

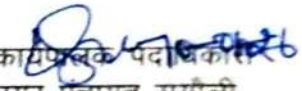
1. स्वच्छता साथी कोई भी भारतीय हो सकता है परन्तु लोकल व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
2. अभ्यर्थी की उम्र 40 से अधिक ना हो।
3. अभ्यर्थी को कम से कम मैट्रिक पास होना चाहिए।
4. अभ्यर्थी की आवाज साफ हो ताकि वे अच्छे से communicate कर सकें।
5. अभ्यर्थी को स्वच्छता से संबंधित कार्यों में कम से कम एक वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
6. अभ्यर्थी के रूप में Waste Picker, Citizen Leader, SHG member, Swachhagarhi, Sanitation Worker, Brand Ambassadors एवं NULM, ASHA, Anganwadi worker, NGOs youth, Community Based Organizations, RWAs से संबंधित व्यक्ति या अन्य कोई भी आवेदन कर सकते हैं।
7. नगर पंचायत स्तर पर कुल संख्या-05 स्वच्छता साथी की आवश्यकता है।
8. चयन का उद्देश्य-शहर को कचरा मुक्त बनाना, नागरिकों को जागरूक एवं उत्तरदायी बनाना।
9. चयन प्रक्रिया-साक्षात्कार के माध्यम से साक्षात्कार की तिथि बाद में घोषित की जाएगी।

स्वच्छता साथी के कार्य की जिम्मेदारी

1. अपने संबंधित वार्ड के सभी घरों का भ्रमण करना एवं स्वच्छता से संबंधित जानकारी जुटाना।
2. घर के मुखिया को Waste Segregation एवं Home Composting करने हेतु प्रेरित करना।
3. वार्ड में छोटे स्तर पर छोटे-छोटे समूह की बैठक एवं अन्य।
4. कार्य अवधि पाँच घंटे प्रतिदिन न्यूनतम होगी।
5. प्रतिदिन की उपस्थिति संधारित की जाएगी।
6. छुट्टी हेतु निकाय की प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।
7. मानदेय प्रत्येक माह के एक से पांच तारीख तक देय होगा।
8. प्रतिदिन ₹0 300.00 की दर से प्रतिमाह 20 दिन का मानदेय 300x20=6000.00 ₹0 मानदेय के रूप में देय होगा।
9. स्वच्छता साथी को Contractual Basis पर एक वर्ष के लिए Hire किया जाएगा, जिसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है।
10. प्रत्येक स्वच्छ साथी को प्रत्येक वर्ष में 200 दिनों के लिए Engage किया जाएगा।
11. 200 कार्य दिवस प्रत्येक माह में 20 दिन का होगा जो वर्ष के किसभी भी 10 माह (स्वच्छ सर्वेक्षण को ध्यान में रखते हुए) में मान्य होगा।
12. सभी स्वच्छता साथी को Monitor करने की जिम्मेदारी सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी की होगी।
13. छुट्टी एवं अन्य समस्याओं से संबंधित मामले सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी देखेंगे।
14. किय गये कार्य की समीक्षा प्रत्येक माह की जाएगी एवं लगातार तीन माह तक कार्य संतोषजनक नहीं होने पर हटाने की कार्रवाई की जा सकती है।

नोट:-

01. विशेष जानकारी/आवेदन प्रपत्र नगर पंचायत सुगौली से कार्यालय अवधि में प्राप्त की जा सकती है।
02. आवेदन पत्र कार्यालय से प्राप्त विहित प्रपत्र में नगर पंचायत सुगौली कार्यालय में दिनांक 27.01.2026 को (कार्यालय अवधि) तक जमा करना होगा।
03. यह किसी भी प्रकार से Permanent Position नहीं है, अतः किसी भी तरह का दावा मान्य नहीं होगा।


कार्यालय पदाधिकारी
नगर पंचायत सुगौली
पूर्वी चम्पारण।